

संख्या: २७३-४ /XXIV-3/2006

प्रेषक,

एस० के० माहेश्वरी,  
अपर सचिव,  
उत्तराँचल शासन

सेवा में,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र -2,  
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,  
नई दिल्ली।

शिक्षा अनुभाग-3

देहरादून

दिनांक २५ मई 2006

विषय: डोन बास्को हाई स्कूल, डोन बास्को नगर, पिथौरागढ़ को  
सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ  
है कि डोन बास्को हाई स्कूल, डोन बास्को नगर, पिथौरागढ़ को  
सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये  
जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति  
नहीं है:-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का रामय-समय पर नवीनीकरण  
कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक  
सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/  
अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे  
उत्तराँचल शासन द्वारा संचालित विद्यालयों में विधिन्वान कक्षाओं  
के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की  
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा  
वैसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की  
सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से प्राप्त  
होने की तिथि से उत्तराँचल शासन द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा  
राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रवतः समाप्त हो जायेंगे।
- 5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय  
सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य  
है वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते  
नहीं दिए जायेंगे।

*Sebastin*

Manager

Don Bosco School  
Pithoragarh (U.K)

*F. Shillukh*

Manager

DON BOSCO SCHOOL  
Pithoragarh

*J. Elan*  
Principal  
DON BOSCO SCHOOL  
Pithoragarh

*Principal*  
Don Bosco School  
Pithoragarh

- 6— कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरूप सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7— राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र /पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9— उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 10— इस प्रतिबन्ध के साथ कि संस्था द्वारा नियमानुसार निर्धारित माप के कक्षा-कक्षों का निर्माण एक वर्ष के अन्दर कर लिया जायेगा।  
  
2— उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

मवदीय,

राज्य सरकार  
(एस०क० माहेश्वरी)

अपर सचिव

संख्या: २७३-८(१) XXIV-3/2006 तद

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2— अपर शिक्षा निदेशक, कुमार्यू मण्डल—नैनीताल।
- 3— जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़।
- 4— प्रबन्धक, डोन बास्को हाई स्कूल, डोन बास्को नगर, पिथौरागढ़।
- 5— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राज्य सरकार  
(एस०क० माहेश्वरी )

अपर सचिव

Principal  
Don Bosco School  
Pithoragarh

Manager  
DON BOSCO SCHOOL  
Pithoragarh

Principal  
DON BOSCO SCHOOL  
Pithoragarh

